

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8) राज/वाद/10 पार्ट-1


जयपुर, दिनांक 17.2.2022

:: आदेश ::

राजकीय वादकरण नीति-2018 के बिन्दु संख्या 11.7 में स्थापित प्रावधानानुसार विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग में गठित विशेष प्रकोष्ठ हेतु संविदा के आधार पर सृजित संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर सेवानिवृत्त जिला जज से एकमुश्त राशि रूपये 60,000/- मासिक दर पर संविदा सेवायें लिये जाने की समयावधि में 01.03.2022 से 28.02.2023 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उपापन हेतु RTPP अधिनियम/नियमों की पालना की जाए। उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102200849 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट मद संख्या 2014-114-(01)-41 संविदा सेवायें (गैर आयोजना) से वहन किया जायेगा।


(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, विधि।
- 5 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण।
- 7 सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
- 8 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 रक्षित पत्रावली।


(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव